6a

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 127/2021

1. छाजुराम पुत्र इन्द्रकुमार जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती सोना उर्फ रोशनी बेवा स्व0 श्री बद्रीप्रसाद नायक, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. अजय कुमार पुत्र स्व0 श्री बद्रीप्रसाद नायक, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. सुमन पुत्री स्व0 श्री बद्रीप्रसाद नायक, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. पुरूषोतम पुत्र इन्द्रकुमार, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
6. अशोक कुमार पुत्र इन्द्रकुमार, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 02, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

समस्त जरिये मुख्तयारखास छाजुराम पुत्र इन्द्रकुमार, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

1. शरत कुमार पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. केशव कुमार पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. मु0 चन्दा देवी पुत्री स्व0 श्यामसुन्दर, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. मु0 लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्यामसुन्दर, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. मु0 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ जिला झुझुनू
6. विनोद कुमार पुत्र स्व0 डूंगरमल, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
7. सेवाराम पुत्र स्व0 डूंगरमल, जाति महाजन, निवासी सूरजगढ मण्डी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

8 (1) कमल सिंह पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जोहनान का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

8 (2) बृज मोहन पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जोहनान का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

(100)

8 (3) चेतन पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जोहनान का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

8 (4) कृष्णा पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जोहनान का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

8 (5) दर्शना पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जोहनान का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

8 (6) दूसरा पता दर्शना पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम झुई, तहसील बाढडा, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा।

9. सतबीर पुत्र स्व0 श्री छाजुराम (दौराने दावा मृत्यु) जाति ब्राहमण, निवासी जोहनाण का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा।

10. श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व0 श्री छाजुराम (दौराने दावा मृत्यु) जाति ब्राहमण, निवासी जोहनाण का मोहल्ला, महिला मण्डल के पास, इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा।

11. तहसीलदार महोदय सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

उपस्थितः—

1. श्री अशोक शर्मा, अभिभाषक – आवेदकगण की ओर से।
2. श्री मनोहर लाल सैनी, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण सं0 8 (1) लगायत 8 (6) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 9 व 10 की मृत्यु हो चुकी है।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 11 की ओर से।

— — —

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा विरूद्व एस0डी0ओ0 सूरजगढ मुकदमा उनवानी मु0 ग्यारसी देवी बनाम छाजूराम (मृतक) महाबीर प्रसाद आदि दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ति व निषेधाज्ञा, मु0न0 417/2012

— — —

आदेश

दिनांक 23.01.2023

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 417/2012 मु0 ग्यारसी देवी बनाम छाजूराम (मृतक) महाबीर प्रसाद आदि दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ति व निषेधाज्ञा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण/आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा मु0 ग्यारसी देवी (दौराने दावा मृत्यु) बनाम स्व0 छाजूराम (दौराने दावा मृत्यु) महावीर प्रसाद आदि मु0न0 417/12, दावा बाबत घोषणा रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई [illegible] की वादीगण द्वारा श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब चिड़ावा के न्यायालय में पेश किया गया था। [illegible] पश्चात [illegible]न 2013 से सूरजगढ में नवसृजित उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित [illegible]ने से वादीगण का उपर्युक्त उनवानी दावा श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब सूरजगढ के [illegible] कर दिया गया तब से वादीगण का दावा श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब सूरजगढ [illegible] रहा है। उपरोक्त उनवानी मुकदमे में प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तामील दिनांक 21.12.2012 से भी पहले हो चुकी है। चूकि प्रकरण मे विवादित भूमि शुरू से पीरूराम नायक व्यक्ति की खातेदारी की चली आ रही है, जिसको डूंगरमल महाजन ने हडपने की योजना बनाकर डूंगरमल महाजन ने उपरोक्त भूमि के खातेदार पीरूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

नायक से भूमि का एक नुमाईशी दान–पत्र अपने मुनीम छाजूराम के नाम करवाया तथा इस दान–पत्र में वर्णित दिनांक 13.07.1966 के आधार पर मात्र 6 माह बाद ही भूमि का दान ग्रहिता छाजूराम से भूमि का विक्रय पत्र 4000/– रूपये मात्र से डूंगरमल महाजन ने अपने नाम से करवा लिया, जिसके बाबत उपरोक्त वर्णित दावा पूर्व खातेदार काश्तकार पीरूराम के वारिसान के द्वारा पेश किया गया, जिसमें उपरोक्तानुसार विपक्षीगण की तामील हो जाने के बाद प्रतिवादीगण दावा में लीगल प्रावधानो के अनुसार जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया तथा दावा को लम्बे समय तक लम्बित रखने के मध्यनजर हेतु उसमें दरख्वास्तें पेश कर रहे है। विवादित भूमि के पूर्व खातेदार अनुसूचित जाति के है जबकि दान गृहिता छाजूराम जाति से ब्राहम्ण था। उपरोक्त उनवानी दावा प्रतिवादीगण के पक्ष की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत नही किया गया तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष संशोधित कोड ऑफ सिविल प्रेसीजर (सी0पी0सी0) का आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के तहत विपक्षीगण के जवाब बाबत दिनांक 27.02.2015 को लिखित में ऐतराज पेश करते हुए निवेदन भी किया कि प्रतिवादीगण को आदेश 6 नियम 1 सीपीसी के व्यवस्था के अधिकतम समय से भी ज्यादा समय देने का अवसर दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः असका जवाब दावा बन्द फरमाया जावे वह प्रार्थन पत्र अभी तक लम्बित है। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही करवाई गई। नव संशोधित कोड ऑफ सिविल प्रासीजर (सी0पी0सी0) आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के संशोधित नियमानुसार प्रतिवादीगण के दावे के समन की तामिल हो जाने से आगामी 30 दिनो के अन्दर जवाब दावा प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद आदेश 8 नियम 1 सीपीसी, परन्तुक मे यह व्यवस्था की गई है कि अगर किन्ही कारणो से प्रतिवादीगण यदि 30 दिनों के अन्दर जवाब दावा प्रस्तुत नही कर पाता है तो कोर्ट की आज्ञा से यह अवसर बढाया जा सकेगा परन्तु किसी भी सूरत में 90 दिनो से अधिक का समय नही लिया जा सकेगा। इसके बावजूद भी श्रीमान पी0ओ0 साहब द्वारा प्रार्थी वादी की कोई सुनवाई नही की गई। इसके बाद प्रतिवादीगण ने तत्कालीन एस0डी0ओ0 से अपने सम्बन्धों की एलानियां घोषणा करते हुए कहा कि हम जल्द ही दावा खारिज करवा देगें। उस समय भी तत्कालीन वादीगण द्वारा मुकदमा एस0डी0ओ0 सूरजगढ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु कालांतर में तत्कालीन एस0डी0ओ0 का स्थानान्तरण होने की वजह से दिनांक 26.10.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थानान्तरित करवाने का प्रार्थना पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी होना मानते हुए खारिज कर दिया। इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का प्रयोग आगामी पीठासीन अधिकारियो पर भी इस प्रकार किया कि दिनांक 27.02.2015 को जो ऑर्डर सीट लिखी गई थी। वह ऑर्डर सीट आज तक केवल सील मोहर से प्रभावी चली आ रही है। अर्थात पत्रावली जिस स्टेज पर दिनांक 27.02.2015 को थी, उसी स्टेज पर आज है। दिनांक 27.02.2015 के बाद प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नही की गई हैं। पीठासीन अधिकारी के रीडर महोदय साईक्लोस्टाइल परफोर्मा की मोहर लगाकर तारीख पेशीया बढाते रहे है। मौजूदा समय में प्रतिवादी/अप्रार्थी सेवाराम की पत्नी पुष्पा गुप्ता नगरपालिका सूरजगढ की चेयरमैन है तथा उक्त सेवाराम गुप्ता, स्व0 डुंगरमल महाजन का पुत्र है। जिसने वादीगण/प्रार्थीगण की उक्त जमीन हडपी थी, जिके सम्बन्ध में विवाद विचाराधीन है। उक्त सेवाराम गुप्ता ने अपने आपको सूरजगढ नगर पालिका चैयरमेन का प्रतिनिधि बताते हुए अपने आपको चैयरमेन ही बताता है। उक्त सेवाराम गुप्ता तथा उसके भुवनेश का निरन्तर वर्तमान पीठाधिकारी महोदय के पास आना–जाना लगा रहता है। सेवाराम गुप्ता जमीनों का [illegible] वर्ष 2015 में इन्होने एलानियां धमकियां दी थी कि कोई कुछ नही बिगाड सकता है नि[illegible] में ही आयेगा। वादीगण का दावा हम खारिज करवाकर ही रहेगे। वर्तमान [illegible]का पुत्र भुवनेश गांव में एलानियां धमकी देते है कि जब हम चैयरमैन नही थे तब भी [illegible] हमारा कुछ नही बिगाड सके अब तो हम चैयरमेन है। एस0डी0एम0 हमारी [illegible] ही उक्त मुकदमें को मौका मिलते ही उडवा देगे। उक्त सेवाराम अपनी पत्नी के चैयरमेन होने का प्र[illegible] दिखाकर आये दिन अक्सर एस0डी0ओ0 के चेम्बर में बैठा रहता है। तब तो तारीख पेशियों पर कोर्ट के कर्मचारी भी वादीगण को राजीनामा कर लेने की सलाह देने लगे है। कर्मचारीगण कहते है कि इसमें साहब का समाचार आया है राजीनामा कर लो अन्यथा मुकदमा खारिज कर देगे। इस प्रकार एस0डी0ओ0 सूरजगढ व उनके कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

102

उनके अभिभाषक के साथ किये गये व्यवहार एवं दी जा रही सलाहों से स्पष्ट होता है कि वो सूरजगढ नगरपालिका की वर्तमान चैयरमेन के प्रतिनिधी सेवाराम गुप्ता के प्रभाव में है। इस प्रकार भी एस0डी0ओ0 व उनके कर्मचारियो के उपरोक्त वर्णित व्यवहार से स्पष्ट हो गया हैं कि वादीगण को सूरजगढ उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से न्याय नही मिलेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। श्रीमान एस0डी0ओ0 व उनके कर्मचारियो द्वारा किया गया उपरोक्त व्यवहार कतई न्यायसंगत नही है। स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण है, जिससे वादीगण को यह विश्वास हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ से वर्तमान प्रकरण ने न्याय मिलने की संभावना व उम्मीद नही रही है क्योकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त भी है कि पक्षकार के साथ न्याय हो रहा है। इस कारण वादीगण का उपरोक्त मुकदमा श्रीमानजी स्वयं के न्यायालय में लेकर विधिनुकूल सुनवाई कर निस्तारित फरमाया जावे अथवा झुंझुनूं जिले के किसी भी अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का दावा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु सांगवान द्वारा अदम हाजिरी एवं पैरवी मे खारीज कर दिया गया था। जबकि मुकदमा स्थानान्तरकरण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे विचाराधीन था। उक्त दावे को पुनः रिस्टोर करने के लिए भी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दावे को पुनः रिस्टोर नही किया गया है एवं गुमराह करते हुए रिपोर्ट पेश की जा रही है। द्वारा अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमा उनवानी ग्यारसी देवी आदि बनाम छाजुराम आदि, मुकदमा नं0 417/12 की पत्रावली श्रीमान स्वयं मंगवाकर निस्तारित फरमाया जावे अथवा जिला झुंझुनूं के सूरजगढ के अलावा किसी भी एस0डी0ओ0 न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जावे जिसमें प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ ने पत्रांक राजस्व/22/26 दिनांक 23.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि न्यायालय का पत्रांक पाठक/2021/2023 दिनांक 22.07.2021 इस न्यायालय को प्राप्त नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय का उनवानी प्रकरण संख्या 2013/00506 ग्यारसी देवी वगैरह बनाम छाजूराम वगैरह दिनांक 20.12.2021 को अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारीज हो चुका है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उनवानी मुकदमा मु0 ग्यारसी देवी (दौराने दावा मृत्यु) बनाम स्व0 छाजूराम (दौराने दावा मृत्यु) महावीर प्रसाद आदि मु0न0 417/12, दावा बाबत घोषणा रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्त उनवानी मुकदमे में प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तामील दिनांक 21.12.2012 से भी पहले हो चुकी है। चूकि प्रकरण मे विवादित भूमि शुरू से पीरूराम नायक व्यक्ति की खातेदारी की चली आ रही है, जिसको डूंगरमल महाजन ने हडपने की योजना बनाकर डूंगरमल महाजन ने उपरोक्त भूमि के खातेदार पीरूराम नायक से भूमि का एक नुमाईशी दान–पत्र अपने मुनीम छाजूराम के नाम करवाया तथा इस दान–पत्र में वर्णित दिनांक 13.07.1966 के आधार पर मात्र 6 माह बाद ही भूमि का दान ग्रहिता छाजूराम से भूमि का विक्रय पत्र [illegible] रूपये मात्र से डूंगरमल महाजन ने अपने नाम से करवा लिया, जिसके बाबत उपरोक्त वर्णित दावा पूर्व खातेदार [illegible] पीरूराम के वारिसान के द्वारा पेश किया गया, जिसमें उपरोक्तानुसार विपक्षीगण की तामील हो [illegible] प्रतिवादीगण दावा में लीगल प्रावधानो के अनुसार जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया तथा दावा को [illegible] समय तक लम्बित रखने के मध्यनजर हेतु उसमें दरख्वास्तें पेश कर रहे है। विवादित [illegible] अनुसूचित जाति के है जबकि दान गृहिता छाजूराम जाति से ब्राहम्ण था। उपरोक्त उनवानी दावे [illegible] प्रतिवादीगण के पक्ष की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत नही किया गया तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष संशोधित कोड ऑफ सिविल प्रेसीजर (सी0पी0सी0) का आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के तहत विपक्षीगण के जवाब बाबत दिनांक 27.02.2015 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

लिखित में ऐतराज पेश करते हुए निवेदन भी किया कि प्रतिवादीगण को आदेश 6 नियम 1 सीपीसी के व्यवस्था के अधिकतम समय से भी ज्यादा समय देने का अवसर दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः असका जवाब दावा बन्द फरमाया जावे वह प्रार्थन पत्र अभी तक लम्बित है। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही करवाई गई। नव संशोधित कोड ऑफ सिविल प्रासीजर (सी0पी0सी0) आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के संशोधित नियमानुसार प्रतिवादीगण के दावे के समन की तामिल हो जाने से आगामी 30 दिनो के अन्दर जवाब दावा प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद आदेश 8 नियम 1 सीपीसी, परन्तुक मे यह व्यवस्था की गई है कि अगर किन्ही कारणो से प्रतिवादीगण यदि 30 दिनों के अन्दर जवाब दावा प्रस्तुत नही कर पाता है तो कोर्ट की आज्ञा से यह अवसर बढाया जा सकेगा परन्तु किसी भी सूरत में 90 दिनो से अधिक का समय नही लिया जा सकेगा। इसके बावजूद भी श्रीमान पी0ओ0 साहब द्वारा प्रार्थी वादी की कोई सुनवाई नही की गई। इसके बाद प्रतिवादीगण ने तत्कालीन एस0डी0ओ0 से अपने सम्बन्धों की एलानियां घोषणा करते हुए कहा कि हम जल्द ही दावा खारिज करवा देगें। उस समय भी तत्कालीन वादीगण द्वारा मुकदमा एस0डी0ओ0 सूरजगढ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु कालांतर में तत्कालीन एस0डी0ओ0 का स्थानान्तरण होने की वजह से दिनांक 26.10.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थानान्तरित करवाने का प्रार्थना पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी होना मानते हुए खारिज कर दिया। इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का प्रयोग आगामी पीठासीन अधिकारियो पर भी इस प्रकार किया कि दिनांक 27.02.2015 को जो ऑर्डर सीट लिखी गई थी। वह ऑर्डर सीट आज तक केवल सील मोहर से प्रभावी चली आ रही है। अर्थात पत्रावली जिस स्टेज पर दिनांक 27.02.2015 को थी, उसी स्टेज पर आज है। दिनांक 27.02.2015 के बाद प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नही की गई हैं। पीठासीन अधिकारी के रीडर महोदय साईक्लोस्टाइल परफोर्मा की मोहर लगाकर तारीख पेशीया बढाते रहे है। मौजूदा समय में प्रतिवादी/अप्रार्थी सेवाराम की पत्नी पुष्पा गुप्ता नगरपालिका सूरजगढ की चेयरमैन है तथा उक्त सेवाराम गुप्ता, स्व0 डुंगरमल महाजन का पुत्र है। जिसने वादीगण/प्रार्थीगण की उक्त जमीन हडपी थी, जिके सम्बन्ध में विवाद विचाराधीन है। उक्त सेवाराम गुप्ता ने अपने आपको सूरजगढ नगर पालिका चैयरमेन का प्रतिनिधि बताते हुए अपने आपको चैयरमेन ही बताता है। उक्त सेवाराम गुप्ता तथा उसके भुवनेश का निरन्तर वर्तमान पीठाधिकारी महोदय के पास आना–जाना लगा रहता है। सेवाराम गुप्ता जमीनों का कारोबार करता है। पूर्व में भी वर्ष 2015 में इन्होने एलानियां धमकियां दी थी कि कोई कुछ नही बिगाड सकता है निर्णय हमारे पक्ष में ही आयेगा। वादीगण का दावा हम खारिज करवाकर ही रहेगे। वर्तमान समय में भी उक्त सेवाराम गुप्ता व उसका पुत्र भुवनेश गांव में एलानियां धमकी देते है कि जब हम चैयरमेन नही थे तब भी यह नायक हमारा कुछ नही बिगाड सके अब तो हम चैयरमेन है। एस0डी0एम0 हमारी हाजरी भरता है। अब जल्दी ही उक्त मुकदमें को मौका मिलते ही उडवा देगे। उक्त सेवाराम अपनी पत्नी के चैयरमेन होने का प्रभाव दिखाकर आये दिन अक्सर एस0डी0ओ0 के चेम्बर में बैठा रहता है। तब तो तारीख पेशियों पर कोर्ट के कर्मचारी भी वादीगण को राजीनामा कर लेने की सलाह देने लगे है। कर्मचारीगण कहते है कि इसमें साहब का समाचार आया है राजीनामा कर लो अन्यथा मुकदमा खारिज कर देगे। इस प्रकार एस0डी0ओ0 सूरजगढ व उनके कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक के साथ किये गये व्यवहार एवं दी जा रही सलाहों से स्पष्ट होता है कि वो सूरजगढ नगरपालिका की वर्तमान चैयरमेन के प्रतिनिधी सेवाराम गुप्ता के प्रभाव में है। [illegible] भी एस0डी0ओ0 व उनके कर्मचारियो के उपरोक्त वर्णित व्यवहार से स्पष्ट हो गया हैं कि वादीगण को सूरजगढ [illegible] अधिकारी न्यायालय से न्याय नही मिलेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आव[illegible] एस0डी0ओ0 व उनके कर्मचारियो द्वारा किया गया उपरोक्त व्यवहार कतई न्यायसंगत नही है। स्पष्ट रू[illegible]पक्षपात पूर्ण है, जिससे वादीगण को यह विश्वास हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी [illegible] न्याय मिलने की संभावना व उम्मीद नही रही है क्योकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त [illegible] है कि पक्षकार के साथ न्याय हो रहा है। इस कारण वादीगण का उपरोक्त मुकदमा श्रीमानजी स्वयं के न्यायालय में लेकर विधिनुकूल सुनवाई कर निस्तारित फरमाया जावे अथवा झुंझुनूं जिले के किसी भी अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का दावा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर झुन्झुनू

(109)

सांगवान द्वारा अदम हाजिरी एवं पैरवी मे खारीज कर दिया गया था। जबकि मुकदमा स्थानान्तरकरण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे विचाराधीन था। उक्त दावे को पुनः रिस्टोर करने के लिए भी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दावे को पुनः रिस्टोर नही किया गया है एवं गुमराह करते हुए रिपोर्ट पेश की जा रही है। द्वारा अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमा उनवानी ग्यारसी देवी आदि बनाम छाजुराम आदि, मुकदमा नं0 417/12 की पत्रावली श्रीमान स्वयं मंगवाकर निस्तारित फरमाया जावे अथवा जिला झुंझुनूं के सूरजगढ के अलावा किसी भी एस0डी0ओ0 न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जावे जिसमें प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

अप्रार्थीगण सं0 8 (1) लगायत 8 (6) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 8 (1) लगायत 8 (6) के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 9 व 10 की मृत्यु हो चुकी है।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ मे अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारीज हो चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु सांगवान का स्थानान्तरकरण हो चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु सांगवान का स्थानान्तरण हो चुका है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ द्वारा मुकदमा उनवानी ग्यारसी देवी आदि बनाम छाजुराम आदि, मुकदमा नं0 417/12 अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारीज किया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ द्वारा मुकदमा उनवानी ग्यारसी देवी आदि बनाम छाजुराम आदि, मुकदमा नं0 417/12 अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारीज किया जा चुका है साथ ही अदालत मातहत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु सांगवान का स्थानान्तरण हो चुका है ऐसी स्थिति मे मौजूदा प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण सारहीन हो चुका है। प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। निर्णय की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested